




राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक 28.12.2017

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) की धारा 15 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.09.2013 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को अपनी अधिकारिता के जिले हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित (Designate) करती है तथा ऐसे मामले जिनमें शिकायत जिला कलक्टर के विरुद्ध हो, उन मामलों के लिए सम्बन्धित संभाग के संभागीय आयुक्त को, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित (Designate) करती है।

एफ 13 (10) (4) खा.वि./खा.सु.अ./14  
राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अंजू राजपाल)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), राजस्थान।
7. पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
10. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कराया जाकर प्रति विभाग को भिजवाये।
11. रक्षा पत्रिका।

  
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव